न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/2023

1. शारदा देवी पत्नी श्री महावीरप्रसाद पुत्री स्व० श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी चक 7 पी.एस.डी. ए. 5 पी.एस.डी. श्रीगंगानगर।
2. नोंजादेवी पत्नी श्री पालाराम पुत्री स्व० श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी चक 1 पी.एम. –2, 2 के.एम.ए. रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर ।
3. सावित्रीदेवी पत्नी श्री रामरख पुत्री स्व० श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी चक 20 के. एन. डी., 17 के.एन.डी.ए. खानुवाली घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
4. विधादेवी पत्नी श्री प्रभुराम पुत्री स्व० श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी सरकारी फेक्ट्री के पास, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी चक 8 एस.टी.बी., दोलतांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. ब्रजलाल पुत्र स्व0 श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी चक 8 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा... जिला हनुमानगढ़।
7. हरबंशलाल पुत्र स्व0 श्री मनफुलराम जाति नायक निवासी नई मण्डी के पास रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जीवणराम जाति नायक निवासी वार्ड नं0 5 माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
9. सावित्री पत्नी श्री भादरराम पुत्री स्व० श्री जीवणराम जाति नायक निवासी फरसेवाला बारानी जिला श्रीगंगानगर।
10. राजाराम पुत्र स्व0 श्री जीवणराम जाति नायक निवासी वार्ड नं0 5 माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
11. गुडडी पत्नी श्री नत्थुराम पुत्री स्व० श्री जीवणराम जाति नायक निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
12. रूपराम पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी वार्ड नं0 20 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
13. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी चक 31 एन.डी.आर. चोहिलांवाली जिला हनुमानगढ़।
14. रामकुमार पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी चक 8 एस.टी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. बालु पत्नी कालुराम पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
16. मैनादेवी पत्नी श्री महावीर पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी चक 51000 आर. डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. कमला पत्नी श्री रामेश्वर पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
18. लिक्षमा पत्नी श्री कोजुराम पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

19. चावली देवी पत्नी श्री सुगनाराम पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी चक 1 एन. डी.आर., चोहिलांवाली जिला हनुमानगढ़।

20. सन्तरो पत्नी श्री हरीराम पुत्री स्व० श्री सोहनलाल जाति नायक निवासी चक 24 एल.एल. डब्ल्यु.–बी, पक्कासारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति कृष्णादेवी पत्नी श्री बनवारीलाल जाति धानक निवासी बी–3/412 मिलनविहार अपार्टमैंट 72 आई पी एक्सटेंशन पड़पड़गंज शंकरपुर पूर्वी दिल्ली।

2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय चाण्डक –– प्रार्थीगण
2. श्री करणी सिंह राठौड. –– अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 30-12-24

अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय चाण्डक द्वारा मार्फत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद–पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो जेरकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय से पूरा–पूरा न्याय प्राप्त होने की आशा है।

यह कि प्रशनगत कृषि भूमि राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 8 एस.टी.बी. के प0नं0 52/353 के किल्नं० 1 ता 3, 6 ता 25 में 20.16 बीघा व प0नं0 52/354 के कि0नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा कुल 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के दादा श्री नत्थु पुत्र श्री मघा जाति नायक के नाम से बतोर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अपने कथन की पुष्टि में नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम 8 एस.टी.बी. संख्या– 34 प्रार्थना–पत्र के साथ बतोर साक्ष्य संलग्न है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा श्री नत्थु पुत्र श्री मघा के देहान्त के बाद उक्त समस्त कृषि भूमि उनके तमाम 10 वारीसान के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। यहां तक कोई विवाद भी नहीं था।

यह कि प्रार्थीगण के परिवार की वंशवृक्षावली प्रस्तुत की गई है। यह कि प्रथम द्रष्टवा निर्विवाद रूप से प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में [illegible] भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमि थी। उक्त पैत्रिक कृषि भूमि में प्रार्थीगण का [illegible] ही [illegible] पिता के समान ही हक व हिस्सा था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण संख्या–1 ता 7 के पिता मनफु[illegible]म, प्रार्थीगण संख्या–8 ता 11 के पिता जीवणराम तथा प्रार्थीगण संख्या– 12 ता 20 के पिता सोहनलाल ने अपने अपने हिस्सा में आई– 1/10–1/10 हिस्सा समस्त कृषि भूमि का बेचान अप्रार्थी नं० 1 श्रीमति कृष्णादेवी पत्नी श्री बनावारीलाल को दिनाक 19/5/1994 को कर दिया है। उक्त निष्पादित बैयनामा प्रथम दिन से ही शुन्य है जिसका प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रार्थीगण के पिता को प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की पैत्रिक कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था ओर ना ही अप्रार्थी नं० 1 को बिना प्रार्थीगण की सहमति के उक्त पैत्रिक कृषि भूमि खरीदने का अधिकार था। इस प्रकार उक्त बैयनामा प्रथम दिन से ही एक शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। 7. यह कि प्रार्थीगण के दादा श्री नत्थु पुत्र श्री मघा के नाम से चक 8 एस.टी. बी. में कुल 45 बीघा 16 बिस्वा अर्थात 11.587 है0 खातेदारी कृषि भूमि थी। उनके देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि उनके तमाम 10 वारीसान के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण संख्या– 1 ता 7 के पिता मनफुलराम का 1/10 हिस्सा में 1.158 है0 हिस्सा भूमि आती थी। प्रार्थीगण संख्या– 8 ता 11 के पिता जीवणराम का भी 1/10 हिस्सा में 1.158 है० हिस्सा भूमि आती थी। तथा प्रार्थीगण संख्या– 12 ता 20 के पिता सोहनलाल का भी 1/10 हिस्सा में 1. 158 है0 हिस्सा भूमि आती थी।

यह कि प्रार्थीगण संख्या– 1 ता 7 के पिता मनफुलराम ने अपने 1/10 हिस्सा की समस्त 1. 158 है0 कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर दिया जब कि 1.158 है0 हिस्सा कृषि भूमि में मनफुलराम का 1/8 हिस्सा में केवल मात्र 0.145 है0 हिस्सा भूमि ही बनती थी। इस प्रकार 1. 013 है0 अतिरिक्त कृषि भूमि का मनफुलराम के द्वारा अप्रार्थी नं० 1 को जिस प्रकार से विधि–विरूद्ध रूप से हस्तान्तरित की गई है वह दस्तावेज प्रथम दिन से ही एक शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है।

यह कि प्रार्थीगण नं0 8 ता 11 के पिता जीवणराम का भी 1/10 हिस्सा भूमि में 1.158 है0 हिस्सा भूमि बनती थी। जब कि उक्त पैत्रिक कृषि भूमि में जीवणराम का 1/7 हिस्सा में केवल मात्र 0.165 है0 हिस्सा भूमि ही आती थी। इस प्रकार 0.993 है0 अतिरिक्त कृषि भूमि का जीवणराम के द्वारा अप्रार्थी नं० 1 को विधि–विरूद्ध रूप से हस्तान्तरित की गई है वह दस्तावेज– प्रथम दिन से ही एक शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है।

यह कि प्रार्थीगण नं० 12 ता 20 के पिता सोहनलाल के द्वारा भी अपने हिस्सा की समस्त 1.158 है0 भूमि का हस्तान्तरण अप्रार्थी नं० 1 को कर दिया गया था। जब कि सोहनलाल का 1/11 हिस्सा में केवल मात्र 0.105 है0 हिस्सा भूमि ही आती थी। इस प्रकार 1.053 है0 हिस्सा भूमि जो कि प्रार्थीगण के हिस्सा की पैत्रिक कृषि भूमि थी, की बाबत हुई हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रथम दिन से ही एक शुन्य दस्तावेज की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है।

यह कि पूर्व में प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की हस्तान्तरित की हुई भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में अप्रार्थी नं० 1 के नाम से 865/2176 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में नकल जमाबन्दी खाता संख्या–118/88 सम्वत 2076–79 प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं० 1 के नाम से जो भूमि दर्ज है वह कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित होने के कारण पूर्णतयः सही इन्द्राज नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त अप्रार्थी को समझाने का भी पूर्ण प्रयास किया किन्तु अप्रार्थी ने बजाय समझने के प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह उक्त वादाधीन कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान कर देगी। तुम लोग सारी उम्र झगड़ते रहना। यदि अप्रार्थी अपने इस उदेशय में कामयाब हो गई तो प्रार्थीगण के हितों पर ना पूरा होने वाला नुकसान हो जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई–निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जावे कि जब तक श्रीमान न्यायालय में चले आ रहे उक्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अनवान के वाद–पत्र का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तब तक वादाधीन कृषि भूमि वाके चक 8 एस.टी.बी. के खाता संख्या– 118/88 में अप्रार्थी नं० 1 कृष्णादेवी पत्नी श्री बनवारीलाल के नाम से जो 865/2176 हिस्सा भूमि का अंकन चला आ रहा है, को किसी भी प्रकार से अन्यत्र रहन, बैय एंव हस्तान्तरण नहीं करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है।।

जबाव प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए अप्रार्थीया संख्या 1 निम्न प्रकार से है – यह कि दफा 1 प्रार्थना पत्र मे वाद पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है परन्तु उसमे प्रार्थीगण को सफलत की आशा होना एंव सुविधा संतुलन एंव प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना स्वीकार नही ।

यह कि दफा 2 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही है। विवादित भूमि नत्थूराम की खातेदारी भूमि नही थी। उक्त भूमि कुनणा व मनफुल वगैरा की खातेदारी भूमि थी जिसमे प्रत्येक सहखातेदार का 1/10 हिस्सा था। कुनणा वगैरा को दिनांक 7.04.1994 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे गलत कथन किये है। कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी चक नम्बर 8 एसटीबी के पं.नं. 52/353 के किला नं. 1 ता 3, 4/1, 6/1 ता 25 की 20 बीघा 16 बिस्वा व पं.नं. 52/354 के किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 45 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि है। जो वर्तमान मे बनवारीलाल पुत्र ओमप्रकाश के नाम 415 हिस्सा कृष्णा देवी पत्नी बनवारीलाल के नाम 274 हिस्सा व लालचन्द पुत्र नत्थुराम के नाम 227 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही । नत्थूराम विवादित भूमि का खातेदार नही था। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार कुनणा व उसके पुत्र–पुत्रीयो को दिनांक 7.04.1994 को धारा 15 एएए राज. काश्तकारी.अधि. के अन्तर्गत प्राप्त हुए है।

यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र मे कुनणा व उसके पुत्र पुत्रीयो के नाम स्वीकार है। शेष – पुत्रीयो की वंशावली लाईल्मी अस्वीकार है। विवादित भूमि कुनणा व उसके पुत्र खातेदारी भूमि थी। जो उनकी स्वः अर्जित भूमि थी। स्वय के कब्जा काश्त की भूमि थी जिन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गय थे।

यह कि दफा 5 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नहीं । विवादित भूमि पैत्रक भूमि नही थी बल्कि स्वःअर्जित भूमि थी। कुनणा वगैरा स्वयं को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है।

यह कि दफा 6 प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार नही। मनफुलराम, जीवनराम, सोहनलाल प्रत्येक विवादित भूमि मे 1/[illegible] के खातेदार थे जिन्हे सरकार द्वारा दिनांक 07.04.1994 को खातेदारी अधिकार [illegible] उनकी स्वः अर्जित थी। जिन्होने अपने हक व हिस्सा [illegible] बैयनामा प्रतिवादीया संख्या 1 को विक्रय की है। जिन्हे भूमि बैय करने का पूर्ण अधिकार [illegible]। उन्होने भूमि अपने परिवार की जायज जरूरत के लिए विक्रय की है। बैयनामा विधि अनुसार सही करवाया गया है। बैयनामा किसी भी प्रकार से शून्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि दफा 7 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही विवादित भूमि नत्थूराम की खातेदारी नही थी। कुनणा मनफूल वगैरा भूमि के खातेदार थे। सरकार द्वारा इन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है ।

यह कि दफा 8 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही है। मनफुलराम विवादित भूमि मे 1/10 हिस्सा का खातेदार था उसे अपना पूरा हिस्सा बैय करने का अधिकार था। उसके द्वारा करवाया गया बैयनामा विधि अनुसार सही है। बैयनामा किसी भी प्रकार से शून्य नही है। प्रार्थीगण का भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है।

यह कि दफा 9 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी है स्वीकार नही है। जीवनराम विवादित भूमि मे 1/10 हिस्सा का खातेदार था उसे अपना पुरा हिस्सा बैय करने का अधिकार था उसके द्वारा करवाया गया बैयनामा विधिनुसार सही है, बैयनामा किसी भी प्रकार से शून्य नही है।

यह कि दफा 10 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी है स्वीकार नही है। सोहनलाल विवादित भूमि मे 1/10 हिस्सा का खातेदार था उसे अपना पुरा हिस्सा बैय करने का अधिकार था। उसके द्वारा करवाया गया बैयनामा विधिनुसार सही है। बैयनामा किसी भी प्रकार से शून्य नही है।

यह कि दफा 11 प्रार्थना पत्र गलत तरह से दर्ज की गई है। प्रार्थीगण का भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही था। विवादित भूमि अप्रार्थीया की जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीदशुदा है जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया के नाम से दर्ज है। विष्यान्तरगत भूमि पूर्व मे मु. खाता मे कुनणा वगैरा में दर्ज तमाम भूमि 45 बीघा 16 बिस्वा लालचन्द कृष्णा देवी व बनवारीलाल के मु. खाता मे कुनणा वगैरा की पुरी भूमि उपरोक्त तीनो के नाम से दर्ज रिकार्ड हो चुकी थी तत्पश्चात खाता विभाजन में लालचन्द का खाता बनवारीलाल व कृष्णा देवी से अलग हो गया था। तत्पश्चात लालचन्द ने उपरोक्त विभाजन के इन्तकाल की अपील एडीएम न्यायालय हनुमानगढ़ में अपील की थी। जो अभी जैरकार है।

यह कि दफा 12 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही। विवादित भूमि मे प्रार्थीगण का कोई हक नही है। दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। अप्रार्थीया ने कभी भी भूमि बैय करने की धमकी नही दी। प्रार्थीगण के गलत कथन किये है। प्रार्थीगण का कोई हक नही है तो उन्हे किसी प्रकार का नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। उन्होने लाललवंश अप्रार्थीया के विरूद्व गलत मुकदमा पेश किया है।अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज फमराया जावे।

—::आदेश::—

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा पैत्रक है जो प्री 55 [illegible] ल द्वारा 1/10 हिस्सा बिना किसी परिवार की सहमति के कर दिया है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि खातेदारी सनद [illegible] आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के रिविजन में है। प्रथम [illegible] सहकाश्तकारों का पक्षकार नहीं बनाया गया है। रजिस्ट्रड बैयनामा हमारे पास है। अधिव[illegible] प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि कर्ता को सेल का अधिकार तभी है जब स्वअर्जित रकबा हो और वह केवल अपना हिस्सा बैच सकता है समस्त नहीं। वाद पत्र में निगरानी में कोई निर्णय अभि पारित नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निषेधाज्ञा ता फैसला की जाये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जसमें आरआरटी 2009 पृष्ठ संख्या 141, आरआरटी 2017 पृष्ठ संख्या 491 आरआरडी 2009 पृष्ठ संख्या 17से 20 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये आरआरटी 2018 पृष्ठ संख्या 1202, आरआरटी 2016–1 पृष्ठ संख्या 159, आरआरटी 2017 पृष्ठ संख्या 259, आरआरटी 2022–23 पृष्ठ संख्या 391 आरआरटी 2012–2 पृष्ठ संख्या 1439 प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का समान अध्ययन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र आरटीए 212 के प्रथम दृष्टय मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं पर ही निर्णय किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित अराजी विकय पत्र दिनांक 19.05.1994 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बैचान कर दिया गया है। अप्रार्थी उक्त रकबा पर काबिज काश्त है। वाद पत्र प्रश्नगत बैयनामा दिनांक से प्रभावी है जो कि 30 वर्ष से अप्रार्थीया संख्या 1 कब्जा काश्त है एवं रिकार्डिड खातेदार होने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में रिकार्डिड खातेदार है। रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30-12-24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.02 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा